नीलाम्बुज शरण

आर्थिक सलाहकार

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

अ.शा. पत्र संख्या 9-6/2010-पीडी-2/वाल्यूम-5 दिनांक 5 अक्तूबर, 2017

आदरणीय महोदया/प्रिय श्री

कृपया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर सुझाव देते हुए दिनांक 24.05.2017 के अंतिम अ.शा. पत्र सहित समसंख्यक अ.शा. पत्रों द्वारा जारी तिमाही परामर्शों का अवलोकन करें ।

2. अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 क्रियान्वित कर दिया गया है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की शर्तों पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। तथापि यह देखा गया है कि 2016-17 के दौरान कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का 90 प्रतिशत से कम उठान हुआ है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि उठान में सुधार सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार उठान किए गए खाद्यान्नों का समय से वितरण किया जाए, ऐसा न करने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की शर्तों में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा ।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसार पात्र परिवार में वरिष्ठतम महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार की मुखिया होगी। यदि परिवार में कोई महिला न हो अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला न हो तो वरिष्ठतम पुरुष सदस्य परिवार का तब तक मुखिया हो सकता है जब तक कि परिवार की महिला सदस्य की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती । यद्यपि सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के क्रियान्वयन के लिए अपने प्रस्ताव के भाग के रुप में इस प्रावधान का अनुपालन करना मान लिया था, लेकिन यह देखा गया है कि अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रावधान का पूर्ण रुप से अनुपालन नहीं किया गया है और परिवार की मुखिया के रुप में महिला वाले राशन कार्डों का प्रतिशत बहुत कम है। महिला सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से अधिनियम में पात्र परिवारों के मुखिया के रुप में महिलाओं से संबंधित प्रावधान अनिवार्य होने के कारण सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नलिखित दो नीतियों को संशोधित किया है, जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए:

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए दिनांक 18 अगस्त, 2017 के खाद्य और क सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र द्वारा प्राकृतिक आपदा, कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा त्यौहारों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करने के बारे में नीति; और

(2) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित दिनांक 1 सितम्बर, 2017 के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र द्वारा "कल्याण संस्थान और छात्रावास स्कीम के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन" के बारे में नीति।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लिए उन्हें किए गए खाद्यान्नों के आवंटन के प्रति उपयोग प्रमाणपत्र भेजना अपेक्षित होता है। लंबित उपयोग प्रमाणपत्र की सूची संलग्न है (अनुबंध-1)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पुन: निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित समय के अंदर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण" के अधीन निम्नलिखित कदम शुरु किए जाएं:-

(1) अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय और नागालैंड द्वारा खाद्यान्नों का ऑनलाईन आवंटन अभी क्रियान्वित किया जाना है।

(2) अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर द्वारा आनलाईन शिकायत निवारण तंत्र अभी शुरु किया जाना है।

(3) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के आंकड़ों में 100 प्रतिशत आधार सीडिंग और आधार नंबरों की सीडिड की वैधता सितम्बर, 2017 तक पूरी की जानी है।

(4) फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू व कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल द्वारा उचित दर दुकानों का स्वचालन क्रियान्वित किया जाना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित दर दुकानों के स्वचालन में तेजी लाई जाने और पूर्ण किया जाने की आवश्यकता है। फिलहाल 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 5.26 लाख उचित दर दुकानों में से 2.74 लाख से अधिक उचित दर दुकानों को स्वचालित बना दिया गया है।

7. इसके अलावा, राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की शर्तों में सतत प्रक्रिया के रुप में जाली और अपात्र राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करेगी और इस संबंध में इस मंत्रालय को सूचित करेगी।

8. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के विभिन्न खंडों के अधीन विभिन्न स्तरों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। सतर्कता समितियों के कार्यकरण के संबंध में सूचना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार विहित प्रपत्र में इस विभाग को भेजी जाए और सतर्कता समितियों को प्रचालनात्मक तथा मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएं।

9. इसके अलावा, खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 18.02.2017 के सां. आ. 371 (अ) द्वारा आधार अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसचूना जारी की है और आगे इसमें दिनांक 29.06.2017 तथा 28.09.2017 की क्रमश: सां. आ. 2040 (अ) और सां. आ. 3176 (अ) (प्रति संलग्न) द्वारा और संशोधन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपर्युक्त अधिसूचना के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

10. यह मंत्रालय डिजिटल वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उचित दर दुकानों की जीआईएस मैपिंग पर सूचना हेतु अनुरोध करता रहा है। चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुन: अनुरोध किया जाता है कि वे शीघ्र अपेक्षित सूचना भेजने की कृपा करें ताकि इसे आगे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जा सके।

11. जनवरी, 2015 से मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए जारी किए गए पिछले सभी पत्रों की प्रतियां इस विभाग की वेबसाइट http://dfpd.nic.in/circular.htm पर उपलब्ध हैं। मैं आभारी होऊंगा यदि आप उपर्युक्त मुद्दों को देखने और इस पर की गई कार्रवाई शीघ्र सूचित करने की कृपा करेंगें।

सादर,

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(नीलाम्बुज शरण)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और आपूर्ति विभाग,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

Rcpt No : 121815/2017/SO(PD-II)

Annexure-I

DETAILS OF STATES/UTs NOT FURNISHED UTILIZATION CERTIFICATES

Sl. No.	Name of the State/ UT	Period from which Utilization Certificate not received
1.	Andhra Pradesh	February, 2013 to March, 2015 & April, 2016 to till date
2.	Arunachal Pradesh	August, 2007 to till date
3.	Assam	March, 2017 to till date
4.	Bihar	April, 2011 to till date
5.	Chhattisgarh	October, 2015 to March, 2016 & April, 2017 to till date
6.	Delhi	April, 2010 to till date
7.	Goa	October, 2016 to till date
8.	Gujarat	March, 2017 to till date
9.	Haryana	November, 2013,November, 2015, January, 2016, April, 2016 & July, 2016, August, 2016, October, 2016 to December, 2016, April, 2017 to till date
10.	Himachal Pradesh	April, 2016 to till date
11.	J&K	April, 2007 to till date
12.	Kerala	August, 2013 to May, 2014, August, 2014 to till date
13.	Jharkhand	April, 2013 to till date
14.	Karnataka	February, 2013, March, 2013, September, 2013 to till date
15	Madhya Pradesh	July, 2016 to till date
16.	Manipur	September, 2013 to July, 2014 & February, 2015 to till date
17.	Maharashtra	July, 2008 to till date
18.	Meghalaya	March, 2016 & October, 2016 to till date
19.	Nagaland	April, 2014 to September, 2014, July, 2015 to till date
20.	Odisha	July, 2012 to till date
21.	Punjab	August, 2009 to March, 2010 & December, 2013 to till date
22.	Rajasthan	April, 2017 to till date
23.	Sikkim	April, 2017 to till date
24.	Tamil Nadu	April, 2016 to till date
25.	Telangana	February, 2010 to till date
26.	Tripura	February, 2010 to till date
27.	Uttar Pradesh	April, 2011 to till date
28.	Uttrakhand	July, 2014 to March, 2015, July, 2015 & January, 2016, December, 2016 to till date
29.	West Bengal	April, 2016 to till date
30.	A&N Islands	July, 2016 to till date
31.	Chandigarh	June, 2010 to April, 2012 & October, 2012 to December, 2013, March, 2015 to December, 2015, February, 2016 to June, 2016, September, 2016, January, 2017 to till date
32.	D &N Haveli	September, 2002 to March, 2009 & April, 2010 to till date
33.	Daman & Diu	October, 2001 to March, 2009, February, 2010 to till date
34.	Lakshadweep	April, 2010 to till date
35.	Pudicherry	September, 2015 to till date
36.	Mizoram	April, 2017 to till date

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2782] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939
No. 2782] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2017

का.आ. 3176(अ).— केन्द्रीय सरकार, आधार, (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा-1, के उप-पैरा (2) में "30 सितम्बर, 2017 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2017 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) पैरा-2 के उप-पैरा (1) में "30 सितम्बर, 2017 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 2017 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

नीलाम्बुज शरण , आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. संख्यांक 2040 (अ) तारीख 29 जून, 2017 द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food And Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2017.

S.O. 3176(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 371(E), dated the 8th February, 2017, namely : -

In the said notification,-

(a) in paragraph 1, in sub-paragraph(2), for the words, figures and letters "by 30th September, 2017", the words, figures and letters "by 31st December, 2017" shall be substituted;

(b) in paragraph 2, in sub-paragraph(1), for the words, figures and letters "by 30th September, 2017", the words, figures and letters "by 31st December, 2017" shall be substituted.

[F.No. 9(2)/2016-PD II]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

Note :- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 371(E), dated the 8th February, 2017 and amended vide number S.O. 2040(E), dated the 29th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.29 18:06:49 +05'30'